हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक उपक्रम समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

62वाँ मूल प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.2 व 3.3 की समीक्षा पर आधारित।

(दिनांक: 12 अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(ii)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1-8)
4.	सिफारिशें	(9)

समिति का गठन

सभापति:

कर्नल इन्द्र सिंह

सदस्य:

2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
4. श्री बलवीर सिंह वर्मा
5. श्री पवन कुमार काजल
6. श्री लखविन्द्र सिंह राणा
7. श्री पवन नैय्यर
8. श्री राजेश ठाकुर
9. श्री सतपाल सिंह रायजादा
10. श्री विक्रमादित्य सिंह
11. श्री विशाल नैहरिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. **श्री यशपाल शर्मा** : सचिव
2. **श्रीमती सन्तोष कुमारी** : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी।

प्रस्तावना

मैं, सभापति, लोक उपक्रम समिति (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **62वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.2 व 3.3 की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करता हूँ।

लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया ।

समिति को ऑडिट पैरे के स्वयंमेव उत्तर अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 19 जून, 2020 को उपलब्ध करवाए गए। समिति ने दिनांक 19 जुलाई, 2022 की आयोजित बैठक में प्राप्त विभागीय उत्तर का अवलोकन किया तथा तथा समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों के आधार पर प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

समिति ने दिनांक 04अगस्त, 2022 की आयोजित बैठक में विचार विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति हिमाचल प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों का आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में समिति को सहयोग दिया।

समिति, सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा इस सचिवालय के उन अधिकारियों/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन की रूप-रेखा तैयार करने में सहयोग किया।

(कर्नल इन्द्र सिंह)
सभापति,
लोक उपक्रम समिति।

दिनांक: 04 **अगस्त, 2022**
शिमला-171004.

प्रतिवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा संख्या: 3.2 व 3.3 की समीक्षा पर आधारित है, के संदर्भ में विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिनांक 19 जून, 2020 को स्वयंमेव उत्तर समिति की संवीक्षार्थ उपलब्ध करवाए।

समिति ने दिनांक 19 जुलाई, 2022 की आयोजित बैठक में स्वयंमेव उत्तर का अवलोकन किया। यह प्रतिवेदन विभागीय लिखित उत्तर एवं समिति द्वारा की गई सिफारिशों/ टिप्पणियों पर आधारित है। जो इस प्रकार से है:-

पैरा संख्या: 3.1
उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अप्रैल 2013 में जारी टैरिफ आदेशों में निर्धारित सीमा के अनुसार उपभोक्ताओं से संविदा मांग प्रभार लेने पर विफल रहने के फलस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 तक की अवधि के दौरान रू0 1.97 करोड़ की संविदा मांग की अल्प वसूली हुई। अल्प वसूली की निरंतरता के कारण इस हानि में और वृद्धि होगी जब तक कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेशानुसार उपयुक्त कार्रवाई नहीं की जाती।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ आदेशों (अप्रैल 2013) में निर्दिष्ट है कि जिन उपभोक्ताओं पर द्विभाग टैरिफ लागू होंगे वे कुल संस्वीकृत संविदा मांग के पूर्वाधिकार अभ्यर्पित किए बिना वित्तीय वर्ष में दो बार संविदा मांग को संशोधित करने के हकदार होंगे। बशर्ते (क) संविदा मांग को कुल संस्वीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत से कम नहीं किया जाएगा (ख) उक्त (क) के अन्तर्गत प्रावधान 1 जुलाई, 2013 से उन मामलों में लागू होंगे जिनमें किसी उपभोक्ता ने अपनी संविदा मांग विद्यमान तंत्र के अन्तर्गत कुल संविदा मांग से 50 प्रतिशत से कम की हो। ऐसे मामलों में वित्तीय वर्ष में संशोधन की संख्या के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष को प्रथम जुलाई 2013 से समझा जाएगा। इसी बीच हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) तथा उपभोक्ता अंतरिम अवधि के दौरान उपयुक्त कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि उपभोक्ता ने स्थाई रूप से कम संविदा मांग प्राप्त की है तो ऐसी कम की गई संविदा मांग सीमा खण्ड (क) एवं (ख) के अन्तर्गत समझी जाएगी।

तीन उपभोक्ताओं के चार विद्युत कनैक्शनों के अभिलेखों की संवीक्षा में देखा गया (अगस्त 2016) कि उपभोक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का उपर्युक्त आदेश

लागू होने के पूर्व उनकी संविदा मांग को कम्पनी के पूर्व अनुमोदन से मूल संस्वीकृत संविदा-मांग की 50 प्रतिशत से बहुत कम सीमा तक घटा दिया था। तथापि, संस्वीकृत संविदा मांग को 50 प्रतिशत की न्यूनतम निर्धारित सीमा तक लाने के उद्देश्य से संशोधित टैरिफ आदेश (अप्रैल 2013) के अन्तर्गत अपेक्षित संविदा मांग में वृद्धि हेतु न तो कम्पनी ने बल दिया और न ही उपभोक्ता ने आवेदन किया तथा कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के आदेशों के विपरीत इन उपभोक्ताओं से कम संविदा के मांग आधार पर (संविदा मांग के 90 प्रतिशत टैरिफ के प्रावधानानुसार अथवा अभिलिखित मांग जो भी अधिक हो) मांग प्रभारों का उद्ग्रहण करना जारी रखा। इस प्रकार मूल संस्वीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत के मांग प्रभारों के उद्ग्रहण तथा वसूल करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2018 के दौरान कम्पनी को रू0 1.97 करोड़ के राजस्व की हानि हुई जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग के अप्रैल 2013 के आदेश के परिपेक्ष्य में उपभोक्ता मामलों की समीक्षा न करने के कारण मांग प्रभारों का अनुद्ग्रहण/गैर वूसली हुई। इसके अतिरिक्त, कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई न करने के कारण कम्पनी अभी तक (सितम्बर 2019) घाटे में चल रही है।

सरकार ने कहा (फरवरी 2019) कि दो उपभोक्ताओं ने उनकी संविदा-मांग उनकी आवश्यकतानुसार घटाई थी तथा तीसरे उपभोक्ता से वसूली कर ली गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोक्ताओं ने अप्रैल 2013 के पूर्व अस्थायी तौर पर उनकी संविदा-मांग अधिग्रहण त्यागे बिना घटाई थी तथा वसूली एक उपभोक्ता से ही की गई जबकि अन्य दो उपभोक्ताओं से धन की वसूली नहीं की गई जो कम्पनी की मनमानी की परिचायक है। जहां पर अंतरिम अवधि (अप्रैल 2013 से जून 2013) के दौरान संविदा मांग संस्वीकृत संविदा मांग के 50 प्रतिशत से कम थी वहां कम्पनी एवं उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त कार्रवाई करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता (वाणिज्य) ने स्पष्ट किया (अगस्त 2015) कि संविदा मांग की स्थाई कमी हेतु उपभोक्ता को इस आशय की सहमति प्रस्तुत करनी थी जोकि उपर्युक्त उल्लेखित मामलों में उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी।

बिन्दु नमूना जांच पर आधारित है, प्रबंधन को भविष्य में राजस्व की हानि को रोकने हेतु यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बिलों को प्रभावित करने वाले टैरिफ आदेश में किसी प्रकार के परिवर्तन के बाद सभी उपभोक्ता मामलों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की जांच की जाए।

ई.एस.डी विद्युत उपमण्डल संजौली (उपभोक्ता-आई०जी०एम०सी०)

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि में इस पैरे के संदर्भ यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता ने के०सं० 1111411066 के विरूद्ध अपनी अनुबंध मांग को

400 के0वी0ए० और के०सं० 1111411063 के विरूद्ध अपनी अनुबंध मांग को 100 के०वी०ए० को ए एण्ड ए फॉर्म पर सितम्बर 2011 में घटाया था। अनुबंध मांग बदलने से पहले, उपभोक्ता की अधिकतम अभिलेखित मांग दोनो खाता सं0 में क्रमश: 400 के०वी०ए० तथा 100 के0वी0ए0 के नीचे ही रही है। उपभोक्ता ने अनुबंध मांग को 400 के0वी0ए0 घटाने के लिए आवश्यक वसूली 7500/- और 100 के०वी०ए० घटाने के लिए आवश्यक वसूली 6800/- तय सीमा में जमा कर दिए थे।

उपभोक्ता ने अपनी अनुबंध मांग को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार घटाया था के०न० 1111411063 के विरूद्ध अनुबंधित मांग को बदलने से पहले, उपभोक्ता की अधिकतम अभिलेखित मांग 100 के0वी0ए0 के नीचे ही रही है और के०न० 1111411066 के विरूद्ध अनुबंधित मांग को बदलने से पहले, उपभोक्ता की अधिकतम अभिलेखित मांग 338 के०वी०ए० के नीचे ही रही है। यहां पर यह भी प्रेषित किया जाता है कि उपभोक्ता ने सितम्बर 2011 के बाद अपनी अनुबंध मांग जो कि 400 के०वी०ए० व 100 के०वी०ए० थी को आज तक नहीं बदला है। अत: उपभोक्ता द्वारा अपनी अनुबंध मांग को 400 के0वी0ए0 और 100 के0वी0ए0 करना स्थायी ही माना जाएगा और उपभोक्ता को अपनी वास्तविक अनुबंध मांग 3222.22 के0वी0ए0 के 50 प्रतिशत जो कि 1611.11 के०वी०ए० तथा वास्तविक अनुबंध मांग 1866.66 के०वी०ए० के 50 प्रतिशत जो कि 933.33 के०वी०ए० करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

यहां पर यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के पत्र सं० एच०पी०एस०ई०बी/सी०ई०(वाणिज्य)/एस0-4/2009-15027-15346 दिनांक 08.11.2012 के अनुसार यदि उपभोक्ता की अनुबंध मांग को तीस दिन के भीतर प्रक्रियात्मक/प्रशासनिक कारण से स्वीकृत नहीं किया गया हो तो उस अनुबंध मांग को तीस दिन के बाद स्वीकृत समझा जाएगा।

उपरोक्त तथ्यों से उजागर होता है कि उपभोक्ता ने अपनी अनुबंध मांग को अपनी आवश्यकता अनुसार ही घटाया था और जिसके लिए उस समय के नियम और विनियम के अंर्तगत परिषद के सक्षम प्राधिकारी ने अनुबंध मांग को घटाने की अनुमोदन दी थी।

विद्युत उपमण्डल मशोबरा (उपभोक्ता-मशोबरा रिजोर्ट)

इस पैरे के संदर्भ में यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता ने के०न० 1112605132 के विरूद्ध अपनी अनुबंध मांग को 2341 के०वी०ए० से घटा कर 1100 के0वी0ए0 अगस्त 2008 में किया था और अनुबंध मांग को 1100 के०वी०ए० से घटा कर 800 के०वी०ए० दिसम्बर 2011 में किया था।

उपभोक्ता ने अपनी अनुबंध मांग को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार घटाया था के०न०1112605132 के विरूद्ध, अनुबंधित मांग को बदलने से पहले, उपभोक्ता की

अधिकतम अभिलेखित मांग 800 के0वी0ए0 के नीचे ही रही है। यहां पर यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता ने दिसम्बर 2011 के बाद अपनी अनुबंध मांग को आज तक नहीं बदला है। अतः उपभोक्ता द्वारा अपनी अनुबंध मांग को 800 के०वी०ए० करना स्थायी ही माना जाएगा और उपभोक्ता को अपनी वास्तविक अनुबंध मांग 2348 के०वी०ए० के 50 प्रतिशत जो कि 1174 के०वी०ए० करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

यहां पर यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के पत्र सं० एच0पी0एस0ई0बी/सी०ई० (वाणिज्य) / एस०-4/2009-15027-15346 दिनांक 08.11.2012 के अनुसार यदि उपभोक्ता की अनुबंध मांग को तीस दिन के भीतर प्रक्रियात्मक/प्रशासनिक कारण से स्वीकृत नहीं किया गया हो तो उस अनुबंध मांग को तीस दिन के बाद स्वीकृत समझा जाएगा। उपरोक्त तथ्यों से उजागर होता है कि उपभोक्ता ने अपनी अनुबंध मांग को अपनी आवश्यकता अनुसार ही घटाया था और जिसके लिए उस समय के नियम और विनियम के अर्न्तगत परिषद के सक्षम प्राधिकारी ने अनुबंध मांग को घटाने की अनमोदन दी थी।

विद्युत उपमण्डल बालुगंज (उपभोक्ता-पीटरहॉफ होटल)

इस संदर्भ में प्रस्तुत किया जाता है कि उपभोक्ता ने 379071 राशि रसीद सं० 111151167677538 दिनांक 26.5.2017 द्वारा जमा करवा दी गई है।

सिफारिश:-

पैरे में उलेखित विद्युत उप-मण्डल संजौली एवं मशोबरा से सम्बन्धित उपभोक्ताओं ने अपनी अनुबन्ध मांग अस्थाई तौर पर कम की थी। अनुबन्ध मांग को स्थाई तौर पर कम करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अगस्त 2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस आशय की undertaking देनी थी जोकि पैरे में उलेखित उपभोक्ताओं द्वारा नहीं दी गई।

समिति जानना चाहती है कि एक ही वृत्त के अन्तर्गत विभिन्न उप-मण्डलों द्वारा एक ही प्रकार के मामलों मे अलग-अलग मापदण्ड क्यों अपनाये गये। शिमला वृत्त के अन्तर्गत ही उप-मण्डल बालूगंज द्वारा ऐसे ही मामले में उपभोक्ता (पीटरहॉफ होटल) से वसूली की जबकि उपमण्डल संजौली एवं मशोबरा द्वारा वसूली नहीं की गई। कारण स्पष्ट किए जाएं। समिति को वसूली की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाया जाए।

<u>पैरा संख्या:- 3.3</u>

<u>दस्तावेजी प्रमाणों के बिना आबकारी शुल्क का भुगतान।</u>

संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार दस्तावेज प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल के आबकारी शुल्क के घटक की कटौती करने में विफलता के परिणामस्वरूप ठेकेदार को रू0 42. 77 लाख के आबकारी शुल्क का अधिक भुगतान।

जून 2003 में भारत सरकार की अधिसूचना तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार हिमाचल प्रदेश उत्तराखण्ड में मार्च 2010 तक स्थापित औद्योगिक इकाइयों को आवकारी शुल्क से छूट प्राप्त थी ।

बद्दी शहर में 11 के0वी0 एचटी/ एलटी लाईन का ढांचा, विनिर्माण, उपकरण / सामग्री की आपूर्ति, परिनिर्माण, परीक्षण एवं चालू करने, पुनः संचालन/विद्यमान संवितरण ट्रांसफार्मरों में अपवर्धन/एकल एवं तीन फेज ऊर्जा मीटरों को उपलब्ध करवाने का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा मई 2012 के दौरान रू० 26.97 करोड़ में (आपूर्ति भाग) मैसर्ज श्याम इण्डस पॉवर साल्यूशन लिमिटेड (ठेकेदार) को दिया गया था। सामग्री की आपूर्ति दरों में सभी कर एवं शुल्क आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त, ठेकेदार के साथ निष्पादन संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार आबकारी शुल्क जोकि कुल इकाई लागत में शामिल थी, का वास्तविक भुगतान केवल दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर करना था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी की लेखा नियमावली में प्रावधान है कि खरीद आदेश/संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार बिल पास किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसम्बर 2016) कि ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं कम्पनी के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों के अनुसार ठेकेदार ने हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के विनिर्माताओं से प्राप्त मुख्य मदें जैसे स्टील टयूबलर पोल्स, आरसीसी तथा सीटीपीटी यूनिट उपार्जित किए, जिन पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट थी। ठेकेदार ने बिल प्रस्तुत करते समय प्रत्येक मद की लागत तथा इन पर लागू करो एवं शुल्कों का अलग ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दावों सहित प्रस्तुत विभिन्न बीजकों में देखा गया कि बीजकों पर विस्तृत अलग ब्यौरा या तो फल्यूड मार्क से छिपा दिया था या मिटाया गया था जिस कारण ठेकेदार द्वारा भुगतान किए गए किसी आबकारी शुल्क के ब्यौरे की पुष्टि नहीं की जा सकी। कम्पनी का बद्दी मण्डल, अनुबन्ध की सेवा शर्तों के अनुसार ठेकेदार से बिल पास करने से पूर्व आबकारी शुल्क के वास्तविक भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्तुत दस्तावेजों को मांगने तथा कम्पनी का लेखा स्कन्ध ठेकेदार को भुगतान करते समय इसे ध्यान में रखने में विफल रहा। तथा आबकारी शुल्क के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नहीं कहा। दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में कम्पनी ने शासकीय प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क जमा कराने के दस्तावेजी प्रमाण को प्रस्तुत करने तक आबकारी शुल्क घटक को काटने के बजाए बिलों की सकल राशि को पास करके भुगतान किया। अप्रैल 2013 एवं नवम्बर 2016 के मध्य अवधि के दौरान, सरकारी प्राधिकारियों के पास आबकारी शुल्क को जमा किया गया इस दस्तावेजी प्रमाण को जमा करने का आग्रह किए बिना स्टील ट्यूब्यूलर पोल्ज आरसीसी मफस तथा सीटी / पीटी की आपूर्ति हेतु

ठेकेदार को कम्पनी ने रू0 42.77 लाख के आबकारी शुल्क का भुगतान किया जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.1 ठेकेदार को भुगतान की गई राशि का विवरण

विवरण	आकार	संख्या की मात्रा	आबकारी शुल्क दर	राशि (रू0में)
स्टील टयूब्लर पोल्ज	9 मीटर	1,595	685.29	10,93,037
	11 मीटर	1,899	1,061.51	20,15,807
	8 मीटर	357	493.91	1,76,325
आर0सी0सी0	1.8 मीटर	3,775	52.11	1,96,715
सी0टी0पी0टी0	10/5 एम्पीयर से 100/5 एम्पीयर	266	2,674.03	7,11,292
	जमा बिक्री कर 2 प्रतिशत			83,863.32
	योग			42,77,039.52

भारत सरकार की उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश/उत्तराखण्ड में विनिर्मित मदों पर आबकारी शुल्क के भुगतान की छूट है तथा ठेकेदार ने भी चालानों पर करों एवं शुल्कों के विवरण को छिपाया। इसके अतिरिक्त अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार केवल दस्तावेजी प्रमाण के प्रति आबकारी शुल्क का भुगतान वास्तविकता के आधार पर किया जाना था। अत: संविदा अनुबंध की सेवा शर्तों के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में ठेकेदार के बिल से आबकारी शुल्क घटक को काटने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को रू0 42.77 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ ।

मुख्य अभियन्ता (परिचालन) दक्षिण ने बताया (जुलाई 2017) कि मार्च 2017 एवं जून 2017 के मध्य ठेकेदार को आबकारी शुल्क की अदायगी हेतु दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं ऐसा करने में विफल रहने पर आबकारी शुल्क की रू0 42.77 लाख की राशि की वसूली/कटौती कम्पनी के पास रोके गए धन से की जाएगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा आबकारी शुल्क के भुगतान के न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए गए और न ही कोई वसूली की गई जबकि प्रथम नोटिस जारी करने के बाद दो वर्ष से अधिक समय बीत चुका था।

बिन्दु नमूना जांच पर आधारित है, प्रबंधन को चूककर्ताओं के विरूद्ध चूक हेतु मौजूदा नियमानुसार उचित कार्रवाई करनी चाहिए तथा भविष्य में इस प्रकार की चूकों से बचने के लिए कम्पनी के ऐसे अन्य सभी मामलों की संवीक्षा के द्वारा वित्तीय संवीक्षा का सुव्यवस्थीकरण करना चाहिए। मामला सरकार/प्रबन्धन को सूचित किया था (जून 2018): उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (सितम्बर 2019) ।

विभाग ने लिखित उत्तर के माध्यम से अवगत करवाया कि आवकारी शुल्क की अधिक वसूली के लिए ऑडिट का मत एक सीमा तक मान्य है। इसमें ऑडिट के समक्ष यह कहना उचित होगा की बददी शहर के लिए मैसर्ज श्याम इडंस पॉवर सॉल्यूशन प्राइवेट लि० को अनुबन्ध के तहत 26.97 करोड़ का कार्य दिया गया था इस कार्य के तहत आवकारी शुल्क का अधिक भुगतान 42.77 लाख के सम्बंध में ऑडिट को यह सूचित किया जाता है कि उस माल पर कम्पनी को आबकारी शुल्क की अधिक वसूली हुई थी। परन्तु शेष माल जो कम्पनी ने दूसरे राज्य से आबकारी शुल्क की अदायगी करके उठाया था उस पर कम्पनी से आबकारी शुल्क की वसूली नहीं बनती। कम्पनी द्वारा तालिका में दर्शाए गए माल का आहरण निम्न प्रकार से है ।

तालिका-क

क्रम संख्या	विवरण	आकार	संख्या में साथ	आवकारी शुल्क दर	राशि
1.	STP	9 मीटर	1,595	685.29	10,93,037.00
2.	STP	11 मीटर	1,899	1,061	20,15,80.70
3.	STP	8 मीटर	357	493.91	1,26,325.00
4.	STP	1.8 मीटर	3,778	52.11	1.96,715.00
5.	STP	10/5 ए0एम पी0 से 100/5 एम0 पी0	266	2,674.03	7,11,292.00
				योग	41,93,176.00
सेल टैक्स					83,863.52
योग					42,77,039.52

अनुबन्ध पत्र की शर्त के अनुसार बद्दी शहर की योजना के खण्ड संख्या 9.0 के तहत आबकारी शुल्क के लिए यह साफ तौर पर कहा गया है कि आबकारी शुल्क जो कि कुल यूनिट मूल्य में सम्मिलित है को कम्पनी दस्तावेजों को सत्यपूर्ति के तहत दिया जाएगा।

अत: यह कहना उचित होगा कि मैसर्ज श्याम इंडस पॉवर सॉल्यूशन प्राईवेट लि0 ने निम्न तालिका-ख के अनुसार आबकारी शुल्क की अदायगी कर रखी है क्योंकि यह माल कम्पनी ने दूसरे राज्यों से लिया गया था जहां पर आबकारी शुल्क की छूट नहीं थी परन्तु ऑडिट ने इस बारे में जिक्र नहीं किया।

तालिका-ख

क्रम संख्या	विवरण	आकार	संख्या में साथ	राशि
1.	STP	9 मीटर	288+30=318	239706
2.	STP	11 मीटर	641	860038
योग				1099744

अतः दिए हुए तथ्यों को देखते हुए यह सपष्ट होता है की रू० 3177296 (Rs. thirty one lac seventy seven thousand two hundred ninty six)(4277039.52-1099744) राशि कम्पनी से देय है जिसकी उगाही कम्पनी के पीएलए से रसीद सं० न० 1000000661 दिनांक 01.06.2020 व न0 1000000656 से कर ली गई है।

<u>सिफारिश:-</u>

बददी शहर के लिए मैसर्ज श्याम इंडस पॉवर सोल्यूशन को आबकारी शुल्क के रूप में केवल रू 42.77 लाख की ही अदायगी नहीं की गई थी। बल्कि अदायगी इससे कहीं अधिक थी। परन्तु लेखा परीक्षा द्वारा केवल उसी अदायगी को इंगित किया गया जो ठेकेदार को उन राज्यों से खरीदे गये माल पर की गई जिन राज्यों में उस समय आबकारी शुल्क पर छूट थी। जिस खरीद पर शुल्क देय था उसको लेखा परीक्षा द्वारा इंगित नही किया गया। अतः दर्शाई गई अधिक अदायगी में से देय राशि (रू11.00 लाख) को समायोजित करके केवल बकाया वसूली के कारणों से समिति को अवगत करवाया जाये।

सिफारिशें

पैरा संख्या 3.2

<u>उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ</u>

पैरे में उलेखित विद्युत उप-मण्डल संजौली एवं मशोबरा से सम्बन्धित उपभोक्ताओं ने अपनी अनुबन्ध मांग अस्थाई तौर पर कम की थी। अनुबन्ध मांग को स्थाई तौर पर कम करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अगस्त 2015 के स्पष्टीकरण के अनुसार इस आशय की undertaking देनी थी जोकि पैरे में उलेखित उपभोक्ताओं द्वारा नही दी गई।

समिति जानना चाहती है कि एक ही वृत्त के अन्तर्गत विभिन्न उप-मण्लों द्वारा एक ही प्रकार के मामलों मे अलग-अलग मापदण्ड क्यों अपनाये गये। शिमला वृत्त के अन्तर्गत ही उप-मण्डल बालूगंज द्वारा ऐसे ही मामले में उपभोक्ता (पीटरहॉफ होटल) से वसूली की जबकि उपमण्डल संजौली एवं मशोबरा द्वारा वसूली नहीं की गई। कारण स्पष्ट किए जाएं। समिति को वसूली की अद्यतन स्थिति से भी अवगत करवाया जाए।

पैरा संख्या 3.3

<u>दस्तावेजी प्रमाणों के बिना आवकारी शुल्क का भुगतान</u>

बद्दी शहर के लिए मैसर्ज श्याम इंडस पॉवर सोल्यूशन को आबकारी शुल्क के रूप में केवल रू 42.77 लाख की ही अदायगी नहीं की गई थी। बल्कि अदायगी इससे कहीं अधिक थी। परन्तु लेखा परीक्षा द्वारा केवल उसी अदायगी को इंगित किया गया जो ठेकेदार को उन राज्यों से खरीदे गये माल पर की गई जिन राज्यों में उस समय आबकारी शुल्क पर छूट थी। जिस खरीद पर शुल्क देय था उसको लेखा परीक्षा द्वारा इंगित नही किया गया। अतः दर्शाई गई अधिक अदायगी में से देय राशि (रू11.00 लाख) को समायोजित करके केवल बकाया वसूली के कारणों से समिति को अवगत करवाया जाये।